

15/10/18

पत्रावली पेरा 5(1) अधिनियम  
अर्थात् की भावादे दिलवाई गई  
अनु. 5। अतः अर्थात् व अधिनियम  
अर्थात् अनुपालित रहे पर  
पत्रावली अदम हाफी/अदम  
कैरबी से खारिफ किया जाता है  
पत्रावली फॉलन मुकाम ही  
नम्र व वस ही

निर्णय मुकाम गया



सहायक कलेक्टर  
(ADO) गया